न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 56/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00070

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल मैसर्स श्री शिव ऑयल एण्ड फुड इण्डस्ट्रीज, 180/196 इण्डस्ट्रीज एरिया, ठिकरिया बॉसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 03.01.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा (राज) के द्वारा दिनांक **16–11–2021** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **04–06–2021** को 10.15 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **श्री शिव ऑयल एण्ड फुड इण्डस्ट्रीज, 180/196 इण्डस्ट्रीज एरिया, ठिकरिया बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल** उपस्थित थे। **श्री शिव ऑयल एण्ड फुड इण्डस्ट्रीज** का निरीक्षण करने पर **एक टेंकर में लगभग 1000 लीटर सरसो तेल कच्ची घानी** आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर वास्ते जॉच हेतु खरीदने की सूचना देते उक्त **सरसो तेल कच्ची घानी 2 लीटर** जॉच हेतु क्रय कर इनकी कीमत 340 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **सरसो तेल कच्ची घानी 2 लीटर** को एकमेल कर चार भाग करके चार साफ व सुखी शिशीयों में लेकर प्रत्येक नमूना शिशी में 500–500 मिलीलीटर लगभग डालकर ढक्कन एयर टाईड बंद किया। मौके पर लेबल तैयार कर जिस पर अभिहित अधिकारी खाध सुरक्षा एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के [illegible] नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर चिपका [illegible] नमूना शिशी को नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में किया। उक्त चार [illegible] भागों में से एक नमूना [illegible] मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:06:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/277–78 दिनांक 13.07.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 103 दिनांक 15.06.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **सरसो तेल कच्ची घानी** Sub-standard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **सरसो तेल कच्ची घानी सबस्टेण्डर्ड** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 22–11–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 03.01.2022 को अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/277–78 दिनांक 13.07.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 103 दिनांक 15.06.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **सरसो तेल कच्ची घानी** Sub-standard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **सरसो तेल कच्ची घानी सबस्टेण्डर्ड** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया सरसो तेल कच्ची घानी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:06:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल मैसर्स श्री शिव ऑयल एण्ड फुड इण्डस्ट्रीज, 180/196 इण्डस्ट्रीज एरिया, ठिकरिया बॉसवाडा को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वारथ्य, 04–लोक स्वारथ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

नरेश बुनकर

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:06:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner